

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 जनवरी 2026 — पौष 18, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS-2101/1167/2025-C&I.-राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ स्थायी पूंजी निवेश अनुदान एवं प्रतिपूर्ति नियम, 2024 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

- नियम 4 के उपनियम (12) के स्थान पर, निम्नानुसार उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् -  
“(12) इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 19 अगस्त, 2025 के पश्चात् प्राप्त औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत प्राप्त स्थायी पूंजी निवेश अनुदान आवेदनों का निराकरण इन नियमों के नियम 5, (उपनियम (1) एवं उपनियम (5) को छोड़कर), में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा एवं अनुदान का वितरण नियम 6 उपनियम (3) के अनुसार किया जाएगा। उक्त प्रकरणों में इकाई की पात्रता, दस्तावेजों की सूची एवं अनुदान की मात्रा छत्तीसगढ़ स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम, 2019 के अनुसार होगी।”
- नियम 5 के उपनियम (4) में शब्द-समूह “सक्षम अधिकारी” के पश्चात्, शब्द-समूह “संचालक उद्योग” के स्थान पर, शब्द-समूह “संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अधिकृत अपर/संयुक्त संचालक” प्रतिस्थापित किया जाए।
- नियम 5 के उपनियम (5) में शब्द-समूह “अधीक्षण अभियंता (रु. 50 करोड़ से अधिक)” के पश्चात्, शब्द-समूह “लोक निर्माण विभाग” जोड़ा जाए।
- उपाबंध-1 की कंडिका 2 (iii) में चिह्न एवं शब्द-समूह “/को-जनरेशन प्लांट” के पश्चात् चिन्ह एवं शब्द-समूह “(गैर-परंपरागत ऊर्जा को छोड़कर)” जोड़ा जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रजत कुमार, सचिव.